छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : M-PRO-2018-00006 प्रकरण दर्ज दिनांक–19.04.2018

श्री अभिनव श्रीवास्तव विरूद्ध श्री देवतनु चक्रवर्ती, तनु कन्सट्रक्शन, रायपुर

प्रोजेक्ट– वसुंधरा अपार्टमेंट, ग्राम–कुकदा, रा.नि.म.–भिलाई–3, तह.–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
15/06/2018	– प्रकरण प्रस्तुत। – प्रकरण में आवेदक श्री अभिनव श्रीवास्तव स्वतः उपस्थित। – अनावेदक अपने विधिक प्रतिनिधि श्री डेरेश्वर बंजारे के माध्यम से उपस्थित। – प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा अनावेदक के ग्राम–कुकदा, तह.–भिलाई–3, जिला–दुर्ग (छ.ग.) स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ''वसुंधरा अपार्टमेंट'' में फ्लैटरूपये 12,01,000/– कीमत में क्रय करने का सौदा कर दिनांक 24.02.2012 को ईकरारनामा निष्पादित करना बताया गया। आवेदक ने बताया कि इस हेतु उनके द्वारा अनावेदक को अब तक कुल 8,01,000/–रूपये का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही कथन किया गया कि उक्त सौदे की शर्त अनुसार अनावेदक को 3 वर्ष के भीतर प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में समस्त सुविधाओं सहित निर्माण पूर्ण कर फ्लैट का आबंटन व रजिस्ट्री आवेदक के पक्ष में करना था, किन्तु बार–बार निवेदन के बावजूद अनावेदक द्वारा न तो निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है और न ही फ्लैट का कब्जा सौपा गया है। आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन फ्लैट हेतु अनावेदक को दी गई सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया है। – प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक को आहूत कर उन्हें पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक को विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से सुनकर आवेदक द्वारा भुगतान की गई रूपये 8,01,000/–की मूल राशि, 41 माह की विलंब अवधि के ब्याज रूपये 2,80,350/– सहित दिनांक 15.06.2018 तक लौटाने का आदेश प्राधिकरण द्वारा दिया गया। साथ ही इसका प्रमाण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। – अनावेदक द्वारा दिनांक 15.06.2018 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर उक्त कुल राशि 10,81,350/– रूपये आवेदक को उनके भारतीय स्टेट बैंक स्थित खाता क्रमांक–20005336673 में अंतरित कर तदाशय की रसीद प्रस्तुत की है। – आवेदक ने भी ब्याज सहित उक्त सम्पूर्ण राशि वापस प्राप्त करने तथा प्रस्तुत शिकायत पर कोई अन्य कार्यवाही नहीं चाहने के संबंध में सहमति व्यक्त की है। आवेदक ने उभय पक्षों के मध्य निष्पादित ईकरारनामा की मूल प्रति अनावेदक को लौटाते हुए भविष्य में इस हेतु कोई दावा प्रस्तुत न करने के संबंध में सहमति व्यक्त की है।	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : M-PRO-2018-00006 प्रकरण दर्ज दिनांक–19.04.2018

श्री अभिनव श्रीवास्तव विरूद्ध श्री देवतनु चकवर्ती, तनु कन्सट्रक्शन, रायपुर

प्रोजेक्ट– वसुंधरा अपार्टमेंट, ग्राम–कुकदा, रा.नि.म.–भिलाई–3, तह.–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
15/06/2018	– प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण में आवेदक को उसके द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित वापस प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न होने से प्रकरण समाप्त कर निराकृत किया जाता है और प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के रेरा में रजिस्ट्रेशन हेतु अस्थायी रोक संबंधी आदेश को शिथिल किया जाता है। – उभय पक्षों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराकर प्रकरण नस्तीबद्ध करते हुए अभिलेखागार भेजा जावे। (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य (विवेक ढाँड) अध्यक्ष	15/6/18 Abhinav 15/6/18